WWW.TAXSCAN.IN - Simplifying Tax Laws

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 82] नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 28, 2018/फाल्गुन 9, 1939
No. 82] NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 28, 2018/PHALGUNA 9, 1939

भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान

(संसद् के अधिनियम द्वारा स्थापित)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 फरवरी, 2018

(चार्टर्ड एकाउंटेंट्स)

सं. 29-सीए/लॉ/डी-340/2018.—चार्टर्ड एकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 की धारा 21(6)(ग) के अनुसरण में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने निर्देश मामला सं. 7/2014 में, तारीख 24 नवंबर, 2017 को यह आदेश दिया था कि श्री अशोक कुमार, चार्टर्ड अकाउंटेंट, 5-ए/10972, डब्ल्यू.ई.ए. संत नगर, करोल बाग, नई दिल्ली-110005 (सदस्यता सं. 084122) के नाम को, उन्हें चार्टर्ड एकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 की धारा 21 के साथ पठित धारा 22 के अंतर्गत आने वाले 'अन्य अवचार' का दोषी पाए जाने के पश्चात् एक वर्ष की अवधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हटा दिया जाए । तदनुसार, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स विनियम, 1988 के विनियम 18 के साथ पठित, उक्त अधिनियम की धारा 20 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त श्री अशोक कुमार का नाम 01.03.2018 से एक वर्ष की अवधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हट जाएगा । पूर्वोक्त अवधि के दौरान, वह माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के उक्त आदेश के निबंधनानुसार चार्टर्ड अकाउंटेंट के रूप में व्यवसाय नहीं करेंगे ।

वी. सागर, सचिव

[विज्ञापन-III/4/असाधारण/455/17]

WWW.TAXSCAN.IN - Simplifying Tax Laws

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA

(Set up under an Act of Parliament)

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th February, 2018

(CHARTERED ACCOUNTANTS)

No. 29-CA/Law/D-340/2018.—The Hon'ble High Court of Delhi has, in pursuance of Section 21(6)(c) of the Chartered Accountants Act, 1949 in Reference Case No. 7/2014, ordered on 24th November, 2017 that the name of Shri Ashok Kumar, Chartered Accountant, 5-A/10972, W.E.A. Sant Nagar, Karol Bagh, New Delhi- 110005 (M.No. 084122) be removed from the Register of Members for a period of one year after finding him guilty of "Other Misconduct" under Section 22 read with Section 21 of the Chartered Accountants Act, 1949. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 20 of the said Act read with Regulation 18 of the Chartered Accountants Regulations, 1988, it is hereby notified that the name of Shri Ashok Kumar stands removed from the Register of Members for a period of one year w.e.f. 01.03.2018. During the aforesaid period he shall not practise as a Chartered Accountant in terms of the said order of the Hon'ble High Court of Delhi.

V. SAGAR, Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./455/17]

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

WWW.TAXSCAN.IN - Simplifying Tax Laws

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 81] नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 28, 2018/फाल्गुन 9, 1939
No. 81] NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 28, 2018/PHALGUNA 9, 1939

भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान

(संसद् के अधिनियम द्वारा स्थापित)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 फरवरी, 2018

(चार्टर्ड एकाउंटेंट्स)

सं. 29-सीए/लॉ/डी-196/2018.—चार्टर्ड एकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 की धारा 21(6)(ग) के अनुसरण में माननीय गुजरात उच्च न्यायालय ने निर्देश मामला सं. 2/2006 में, तारीख 3 नवंबर, 2017 को यह आदेश दिया था कि श्री मनुभाई ए. पंचाल, चार्टर्ड अकाउंटेंट, बी-12 आईएफएल, वासुपूज्या चैम्बर्स, समीप इन्कम टैक्स सर्कल, आश्रम रोड, अहमदाबाद, गुजरात-380014 (सदस्यता सं. 031000) के नाम को, उन्हें चार्टर्ड एकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 की दूसरी अनुसूची के भाग 1 के खंड (5), (6), (7), (8) और (9) के उल्लंघन के कारण दो वर्ष की अवधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हटा दिया जाए। तदनुसार, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स विनियम, 1988 के विनियम 18 के साथ पठित, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 की धारा 20 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त श्री मनुभाई ए. पंचाल का नाम 01.03.2018 से दो वर्ष की अवधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हट जाएगा। पूर्वोक्त अवधि के दौरान, वह माननीय गुजरात उच्च न्यायालय के उक्त आदेश के निबंधनानुसार चार्टर्ड अकाउंटेंट के रूप में व्यवसाय नहीं करेंगे।

वी. सागर, सचिव

[विज्ञापन-III/4/असाधारण/454/17]

WWW.TAXSCAN.IN - Simplifying Tax Laws

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA

(Set up under an Act of Parliament)

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th February, 2018

(CHARTERED ACCOUNTANTS)

No. 29-CA/Law/D-196/2018.—The Hon'ble High Court of Gujarat has, in pursuance of Section 21(6)(c) of the Chartered Accountants Act, 1949 in Reference Case No. 2/2006, ordered on 3rd November, 2017 that the name of Shri Manubhai A. Panchal, Chartered Accountant, B-12 IFL, Vasupujya Chambers, Nr Income Tax Circle, Ashram Rd, Ahmedabad, Gujarat- 380014 (M.No. 031000) be removed from the Register of Members for a period of two years for violation of Clauses (5), (6), (7), (8) & (9) of Part I of the Second Schedule to the Chartered Accountants Act, 1949. Therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 20 of the said Act read with Regulation 18 of the Chartered Accountants Regulations, 1988, it is hereby notified that the name of Shri Manubhai A. Panchal stands removed from the Register of Members for a period of two years w.e.f. 01.03.2018. During the aforesaid period he shall not practise as a Chartered Accountant in terms of the said order of the Hon'ble High Court of Gujarat.

V. SAGAR, Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./454/17]

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.